

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(3)नवि/11/2021 पार्ट

जयपुर, दिनांक:

24 JUN 2022

संशोधित आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.06.2022 में आंशिक संशोधन करते हुये क्रम संख्या 02 पर अंकित श्री शिशिरकान्त वार्ष्णेय, अधिशाषी अभियन्ता का "नवीन पदस्थापन स्थान नगर विकास न्यास, सीकर के स्थान पर नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर" पढ़ा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd

(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
5. आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर।
8. श्री शिशिरकान्त वार्ष्णेय, अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद्, राजसमन्द।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

sd
शासन संयुक्त सचिव-तृतीय